राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 35/2016

1. हेमराज पुत्र
2. हजारा पुत्र
3. गोकुल पुत्र
4. केलाशी पुत्री
5. ज्याना पत्नि मृतक
6. हरलाल पुत्र

रामप्रताप जाति गुर्जर निवासी मुण्डली तह0 मांगरोल जिला बारां

..... वादीगण

♠ बनाम ♠

1. गजानन्द पुत्र भैरूलाल जाति गुर्जर निवासी मुण्डली तह0 मांगरोल
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 188 आर.टी.एक्ट

पीठासीन अधिकारी : प्रमोद कुमार सिंधव (आर.ए.एस.)
वकील वादीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा
वकील प्रतिवादीगण : श्री दया कृष्ण धाकड
दायर दिनांक–13.04.2016 निर्णय दिनांक : 13.06.2018

वादपत्र में वादीगण ने जर्ये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 188 आरटीएक्ट पेश कर कथन किया कि ग्राम मूण्डली के खाता संख्या 16 में कुल किता 3 रकबा 3.22 है0 आराजी वादीगण व प्रतिवादी कम 1 के शामलाती खाते में दर्ज है। वर्तमान जमाबंदी में वादीगण का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 2/3 दर्ज हो रहा हैं ये आराजी पूर्व में वादीगण के दादा भैरूलाल के खाते में दर्ज थी जिसका खसरा नं0 1/3 रकबा 20 बीघा था।

आगे कथन किया कि भैरूलाल मृतक खातेदार के दो पुत्र रामप्रताप व गजानन्द थे तथा बेवा मांगी बाई थी दौराने सेटलमेंट भैरूलाल की मृत्यु के बाद जो इन्तकाल तस्दीक किया गया उक्त अनुसार रामप्रताप 1/3 व गजानन्द 1/3 और मांगी बाई 1/3 थे जो सही था आगे वाद पत्र में कथन किया कि वादीगण की दादी मांगी बाई फौत होने के पश्चात उसका हिस्सा प्रतिवादी कम 1 ने अपने नाम दर्ज करवाकर हिस्सा 2/3 दर्ज करवा लिया जबकि मांगी बाई का हिस्सा आधा–आधा वादीगण व प्रतिवादी कम 1 के दर्ज होना चाहिए था राजस्व रेकार्ड के अनुसार मांगीबाई की मृत्यु हो जाने के पश्चात वादीगण 1 ता 6 व प्रतिवादी कम 1 1/2–1/2 हिस्से के सहखातेदार है।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 13.04.2016 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया । प्रतिवादी कम 1 को जर्ये सम्मन तलब किया गया तलब होने के पश्चात प्रतिवादी कम 1 ने जर्ये अधिवक्ता वकालत नामा पेश करके जवाब दावा को समय चाहा। जवाब दावा लगभग 2 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर भी पेश नही किया गया है अतः जवाब दावा बन्द किया जाता है।

वकील वादीगण की बहस सुनी प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया न्यायालय के मद में मृतक खातेदार भैरूलाल के दो पुत्र रामप्रताप व गजानन्द थे तथा बेवा मांगी बाई थी बेवा मांगी बाई की मृत्यु होने के बाद भैरूलाल के दो ही वारिसान रामप्रताप व गजानन्द शेष रहते है। वादीगण 1 ता 6 रामप्रताप के वारिसान है इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादी कम 1, 1/2–1/2 हिस्से के सहखातेदार होने चाहिए। लेकिन राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में वादीगण 1/3 हिस्से के प्रतिवादी कम 1, 2/3 हिस्से के सहखातेदार है। राजस्व रेकार्ड जमाबंदी की त्रुटी को दुरूस्त किया जाना न्याय संगत होगा।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मूण्डली के खाता संख्या 16 में दर्ज आराजी खसरा नं0 1 रकबा 1.30 है0, खसरा नं0 7 रकबा 1.23 है0, खसरा नं0 9 रकबा 0.69 है0 कुल किता 3 रकबा 3.22 है0 में दर्ज प्रतिवादी कम 1 गजानन्द का हिस्सा 2/3 के स्थान पर 1/2 व वादीगण हेमराज वगै0 का हिस्सा 1/3 के स्थान पर 1/2 हिस्सा किया जाता है। डिक्री बनायी जावें राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प महुआ मजमेंआम में सुनाया गया।